

पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय सीआरपीएफ भोजपुर रोड, बंगरसिया भोपाल, (मप्र) पिन-462045 Phone: 07480 -292000 Email: kvbanggrasia@yahoo.com Website https://crpfbanggrasia.kvs.ac.in	 CBSE School Code: 54149 CBSE Affiliation No.: 1000088 UDISE Code: 23320204710	PM SHRI Kendriya Vidyalaya, CRPF Bhojpur Road, Bangrasia Bhopal, (MP) PIN- 462045 Phone: 07480 -292000 Email: kvbanggrasia@yahoo.com Website https://crpfbanggrasia.kvs.ac.in
--	--	--

एफ. /केवि/सीआरपीएफ बंगरसिया/भोपाल/2025-26

दिनांक : 20.03.2026

प्रवेश सूचना (सत्र 2026-27)

के.वि.सं. के समसंख्यक पत्र दिनांक 18.03.2026 द्वारा जारी प्रवेश दिशानिर्देशिका 2026-27 के अनुपालन में पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय सीआरपीएफ बंगरसिया में विभिन्न कक्षाओं में ऑनलाइन/ऑफलाइन माध्यम से प्रवेश हेतु पंजीयन की प्रक्रिया 20 मार्च 2026 से प्रारंभ हो रही है। इच्छुक अभ्यर्थी/अभिभावक अधिक जानकारी के लिए विद्यालय में प्रातः 9:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। विवरण निम्नानुसार है।

Class for Admission	Present Enrolment in the Class	Remaining Vacant seats for Admission	आवेदन का माध्यम	पंजीकरण तिथि	विशेष निर्देश / जानकारी
कक्षा I (Class-I)	Not Applicable as Fresh admission will be there	80	ऑनलाइन (Online)	20.03.2026 (शुक्रवार) से	कक्षा 1 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिए लिंक : https://admission.kvs.gov.in न्यूनतम आयु: 06 वर्ष (31.03.2026 के अनुसार)
कक्षा III (Class III)	46	34	ऑफलाइन (Offline)	02.04.2026 (गुरुवार) तक	आवेदन केवल कक्षा III से V के लिए। पंजीकरण प्रपत्र विद्यालय कार्यालय से प्राप्त करें।
कक्षा IV (Class IV)	43	37	ऑफलाइन (Offline)		पंजीकरण प्रपत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर अंतिम तिथि तक या उससे पहले आवेदन विद्यालय कार्यालय में जमा करें।
कक्षा V (Class V)	44	36	ऑफलाइन (Offline)		

पंजीकरण प्रपत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज:-

1. Birth Certificate
2. Hard Copy (Print out) of the Application Form
3. Residence Proof (As per Admission Guideline)
4. Certificate of transfers counter signed by the Authority (ORIGINAL)
5. Caste Certificate (SC/ST/OBC)
6. PEN No./APAR ID
7. Service Certificate
8. Aadhar Card (Child, Father, Mother)
9. Income Certificate.

प्रावधिक (Provisional) सूची में नाम आने के पश्चात, सत्यापन हेतु सभी मूल दस्तावेजों का प्रस्तुतीकरण अनिवार्य है। किसी भी स्तर पर जानकारी असत्य या भ्रामक पाए जाने की स्थिति में, केन्द्रीय विद्यालय संगठन के नियमानुसार प्रवेश प्रक्रिया के दौरान अथवा उसके बाद भी प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।



20/3/26